न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 36/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. मनीष पुत्र रामूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रडवा बाड़मेर (मैसर्स राजस्थान स्वीट्स पचपदरा बाड़मेर का मैनेजर)
2. रामूसिंह राजपुरोहित निवासी रडवा बाड़मेर (मैसर्स राजस्थान स्वीट्स पचपदरा बाड़मेर का खाद्य अनुज्ञा पत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनाँक : 17.08.2021

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स राजस्थान स्वीट्स पचपदरा बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनाँक **10.11.2020** को वि[illegible] पदार्थ **पनीर** जो कि फ्रीज में करीब 5 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावटी होने के शक पर नियमानुसार **01 कि0ग्रा0 पनीर** वास्ते नमूना क्रय किया [illegible] नमूना संख्या **पी–1283** अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तह[illegible]ये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक **18.12.2020** में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ की विश्लेषण में मिल्क फैट कन्टेन्ट ऑफ द ड्राई मैटर के आँकडे निर्धारित मानक 50.0% के मुकाबले 23.98% पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से अत्यधिक ज्यादा है तथा इस प्रकार निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान में ग्राहकों को विक्रय करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अनुपस्थित रहकर अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना उसके प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को भलीभांति निर्वहन करना चाहिए। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested